ज़कातुल-फित्र के अहकाम व मसाईल

[*हिन्दी*]

أحكام زكاة الفطر

[اللغة الهندية]

लेख

अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

عطاء الرحمن ضياء الله

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة

الرياض - المملكة العربية السعودية

इस्लामी आमन्त्रण एंव निर्देश कार्यालय रब्वा, रियाज़, सऊदी अरब

1429 -2008

islamhouse.com

بسم الله الرحمن الرحيم

मैं अत्यन्त मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

الحمدلله الذي من علينا بإتمام صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

इस्लामी भाईयो और बहनो ! रमज़ान के महीने से संबंधित अहकाम में से एक हुक्म **'ज़कातुल-फित्र'** है जो इस महीने का अन्त होने पर लागू होता है। इसलिए ज़कातुल-फित्र के अहकाम से संबंधित कुछ संछिप्त बातें प्रमाण सहित उल्लेख की जा रही हैं :

ज़कातुल-फित्र का हुक्म :

ज़कातुल-फित्र एक कर्तव्य (फरीज़ा) है, जिसे अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रमज़ान के महीने का अन्त होने पर ईदुल-फित्र की नमाज़ से पहले प्रत्येक मुसलमान; छोट और बड़े, मर्द और औरत, तथा आज़ाद और गुलाम पर अनिवार्य किया है। जैसाकि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं :

''अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने गुलाम और आज़ाद, मर्द और औरत, छोटे और बड़े - सभी मुसलमानों पर, रमज़ान के अन्त पर एक सॉअ् खजूर या एक सॉअ् जौ, ज़काते-फित्र अनिवार्य किया है।'' (बुखारी व मुस्लिम)

ज़कातुल-फित्र किस पर अनिवार्य है? :

ज़कातुल-फित्र हर उस मुसलमान पर अनिवार्य है जिस के पास ईद के दिन व रात अपनी और अपने परिवार की खुराक से अधिक इतना धन शेष रहता हो कि वह हर एक की ओर से एक सॉअ् अनाज सदक़तुल-फित्र निकाल सके। बल्कि गरीब लोगों को दूसरों के यहाँ से प्राप्त होने वाले अनाज से फित्राना निकालना चाहिए।

अतः सदक़तुल-फित्र के अनिवार्य होने के लिए आदमी का मालदार होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जिस प्रकार एक मालदार पर ज़कातुल फ़ित्र अनिवार्य है, उसी प्रकार एक गरीब पर भी अनिवार्य है, यदि उसके पास ईद के दिन व रात के आहार से अधिक खाद्यान्न मौजूद है।

इसी तरह ज़कातुल-फित्र केवल उन्हीं लोगों पर निवार्य नहीं है जिन पर रोज़ा अनिवार्य है, बल्कि हर मुसलमान पर अनिवार्य है, चाहे छोटा हो या बड़ा, व्यस्क हो या अव्यस्क। जैसाकि बुखारी व मुस्लिम में अब्दुल्लाह बि उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की पूर्व हदीस से ज्ञात होता है।

ज़कातुल-फित्र आदमी स्वयं अपनी ओर से तथा हर उस व्यक्ति की ओर से निकाले गा जिन की जीविका का वह ज़िम्मेदार है, जैसेकि बीवी, बच्चे ... इत्यादि।

गर्भस्थ (पेट में पलने वाले बच्चे) की ओर से ज़कातुल फित्र निकालना वाजिब नहीं है, क्योंकि इस का कोई प्रमाण नहीं है। उसमान रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में जो यह वर्णन किया जाता है कि वह गर्भस्थ की ओर से ज़कातुल-फित्र निकालते थे, तो उसकी सनद ज़ईफ है। (अर्थात शुद्ध रूप से प्रमाणित नहीं है)। (देखिए : ईर्वाउलग़लील ३/३३०)

ज़कातुल-फित्र की हिक्मत :

ज़कातुल-फित्र के अनिवार्य किए जाने की हिक्मत यह है कि रोज़ेदार से रोज़े की अवस्था में जो लग़्व, अनुचित और बेहूदा बातें, गलत हरकतें हो जाती हैं, उन से उसे पवित्र किया जाए। चुनाँचे ज़कातुल-फ़ित्र निकालने से रोज़ादार, रोज़े की हालत में होने वाले दुर्वचन, अशिष्ट और बेहूदा बातों से पवित्र हो जाता है।

इसी प्रकार ज़कातुल-फ़ित्र का एक अन्य उद्देश्य यह भी है कि वो गरीब, असहाय, मिस्कीन और दरिद्र लोग जिनके खाने-पीने का कोई स्थायी प्रबन्ध नहीं है, लोगों से भीख माँग कर अपना पेट पालते हैं, ईद के दिन लोगों के सामने हाथ फैलाने से बच जाएँ और सामान्य मुसलमानों के समान, वो भी ईद के दिन की खुशी और हर्ष व उल्लास का अनुभव करें। जैसाकि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की हदीस है कि:

"नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रोज़ेदार को लग़्व, बेहूदा और अश्लील बातों से पवित्र करने और मिस्कीनों के लिए खुराक (आहार) मुहैया कराने के लिए ज़कातुल-फित्र अनिवार्य कर दिया है।" (अबूदाऊद, इब्ने माजा)

ज़कातुल-फित्र में क्या निकालना वाजिब है?

ज़कातुल-फित्र उस अनाज (खाद्यान्न) से निकालना चाहिए जो वहाँ के लोगों का सामान्य खुराक (आहार) हो, जैसेः गेहूँ, चावल, जौ, खजूर इत्यादि। अबू सईद खुद्री रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं :

"हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के समय काल में ईदुल-फित्र के दिन खाद्यान्न में से एक सॉअ् (ज़काते-फित्र) निकालते थे। (उस समय) हमारा खाद्यान्न जौ, किशमिश, पनीर और खजूर था।" (सहीह बुखारी)

ज़कातुल फित्र की क़ीमत निकालने का हुक्म :

ज़कातुल फित्र को मनुष्यों के सामान्य खाद्यपदार्थ से निकालना ज़रूरी है। उसे क़ीमत के रूप में निकालना पर्याप्त नहीं होगा। क्योंकि अल्लाह के पैग़मबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, या आप के सहाबा में से किसी एक से भी ज़कातुल-फित्र की क़ीमत निकालना प्रमाणित नहीं है।

इसलिए रूपये-पैसे (नक़दी) कपड़े, जानवरों के चारे, सामान इत्यादि से ज़कातुल-फित्र निकालना प्र्याप्त नहीं होगा। क्योंकि यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हुक्म के ख़िलाफ है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फर्मान है :

"जिस ने कोई ऐसा काम किया जिस पर हमारा हुक्म (आदेश) नहीं है, तो वह काम रद्द कर दिया जाए गा (अस्वीकृत होगा)।" (मुस्लिम)

ज़कातुल-फित्र निकालने का समय :

ज़कातुल फित्र के अनिवार्य होने का समय रमज़ान के अन्तिम दिन का सूरज डूबने के समय से आरम्भ होता है और ईद की नमाज़ से पहले तक रहता है। जैसाकि इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं :

"अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ज़कातुल-फित्र लोगों के ईद की नमाज़ के लिए निकलने से पहले अदा करने का आदेश दिया।" (सहीह बुखारी)

तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः

"जिस ने ज़कातुल-फित्र ईद की नमाज़ से पहले अदा कर दिया तो वह ज़कात मक़्बूल (स्वीकृत) है, और जिस ने नमाज़ के बाद अदा किया तो वह सामान्य सद्क़ात व ख़ैरात के समान एक सद्क़ा है।" (अबूदाऊद, इब्ने माजा)

अतः ज़कातुल-फित्र ईद की नमाज़ से पहले निकालना ज़रूरी है, श्रेष्ठ यह है कि उसे ईद के दिन नमाज़ से पहले निकाला जाए।

किन्तु ईद से एक या दो दिन पहले भी निकालना पर्याप्त है, जैसाकि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के बारे में सहीह बुखारी में वर्णित है कि वह ईद से एक या दो दिन पहले ज़कातुल-फित्र दिया करते थे। इसी प्रकार की रिवायत मुवत्ता इमाम मालिक में भी है।

लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ईद से एक या दो दिन पहले ज़कात एकत्र करने वाले के पास ज़कातुल फित्र भेजते थे।

इसी लिए इमाम बुखारी इस पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि : सहाबा किराम ईद से एक दो दिन पहले ज़कातुल-फित्र एकत्र करने के लिए देते थे, न कि फक़ीरों को देने के लिए।

इसी के समान सुनन तिर्मिज़ी के शारेह (टीकाकार) अब्दुर्रहमान मुबारकपूरी ने भी टिप्पणी की है कि इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के अमल से ईद से एक या दो दिन पहले सदक़तुल-फित्र, एकत्र करने के लिए देने का प्रमाण मिलता है, गरीबों को एक या दो दिन पहले देने का इस में कोई तर्क नहीं है।

ज़कातुल फित्र की मात्रा :

ज़कातुल-फित्र की मात्रा एक 'सॉअ्' है, जैसाकि अबू सईद खुद्री रज़ियल्लाहु अन्हु की पूर्व हदीस में इस का वर्णन हुआ है।

सॉअ्, एक मापक यन्त्र है। और इस से अभिप्राय नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का सॉअ् (हिजाज़ी सॉअ्) है। सॉअ् की परिशुद्ध और यथार्थ मात्रा का वज़न के द्वारा पता चलाना सम्भव नहीं है; क्योंकि उस में रखकर नापी जानी वाली हर एक वस्तु का वज़न दूसरे से भिन्न रहता है, चुनाँचे एक सॉअ् गेहूँ का वज़न, एक सॉअ् चावल से भिन्न रहता है, एक सॉअ आटे का वज़न एक सॉअ् जौ से भिन्न होगा। इसलिए सर्वश्रेष्ठ यही है कि सॉअ् को प्रचलित किया जाए और हर एक के पास सॉअ् नबवी हो। इसी कारण सॉअ् का जो भी वज़न आज लोगों के बीच प्रचलित है वह एक अनुमानित वज़न है।

एक सॉअ में चार मुद्द होते हैं और एक सामान्य आदमी की दोनों हथेलियों में जितनी मात्रा में अनाज आ जाता है, वह एक मुद्द की मात्रा है। दूसरे शब्दों में एक सॉअ् एक सामान्य आदमी के चार लप के बराबर होता है। इस हिसाब से सऊदी अरब के दारूल इफ्ता ने लगभग ३ किलो ग्राम एक सॉअ् का अनुमानित वज़न निर्धारित किया है।

तथा अल्लामा मुहम्मद बिन सालेह अल-उसैमीन रहिमहुल्लाह कहते हैं :

"सॉअ् की मात्रा अच्छे क्वालिटी के गेहूँ से २ किलो ४० ग्राम है, यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सॉअ् की मात्रा है जिस के द्वारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फित्राना की मात्रा निर्धारित किया है।"

ज़कातुल-फित्र के हक़दार लोग :

ज़कातुल-फित्र के हक़दार मुसलमानों में से गरीब और मिस्कीन लोग हैं; क्योंकि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की पूर्व हदीस में है कि : **"नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ... और मिस्कीनों के लिए खुराक (आहार) मुहैया कराने के लिए ज़कातुल-फित्र अनिवार्य किया है।"** (अबूदाऊद, इब्ने माजा)

चेतावनियाँ :

- फक़ीरों और मिस्कीनों के अतिरिक्त किसी अन्य को ज़कातुल-फित्र देना ग़लत है।
- आदमी जिस स्थान पर है वहाँ के गरीबों को ज़कातुल फित्र दिया जाए गा। तथा उसे दूसरे नगर में भी स्थानान्तरित कर सकते हैं।

- यह कहना कि: ((ज़कातुल-फित्र के बिना रमज़ान के रोज़े आसमान और ज़मीन के बीच लंबित (मुअल्लक़) रहते हैं, स्वीकृत नहीं होते।)) गलत और अनाधार है। इस विषय में जो हदीस वर्णन की जाती है, वह ज़ईफ हदीस है। (देखिए : सिलसिला ज़ईफा, हदीस न० ४३)

अल्लाह तआला से दुआ है कि हमारे सियाम व क़ियाम को स्वीकृत से सम्मानित करे, और इस मुबारक महीने में हम से जो त्रुटियाँ हुई हैं उन्हें क्षमा कर दे। तथा बार-बार हमें यह शुभ अवसर प्रदान करे।

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

(अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह)*
atazia75@gmail.com *